न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

(137)

Rs.30/-

गोविन्द प्रसाद तिवारी तनय श्री गोपीनाथ तिवारी निवासी ग्राम मिसिरगवा तह0 मउगंज जिला रीवा म0प्र0 ----निगरानीकर्ता

R 5166-II/17

बनाम

1– म0प्र0 राज्य

2– कामता प्रसाद तनय मथुरा साकेत निवासी कन्हैया तह0 व थाना मउगंज जिला रीवा म0प्र0 -- गैर निगरानीकर्तागण

अधि0 श्री अनिल पाण्डेय, द्वारा प्रस्तुत 19.4.17

19.4.17
कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0 1959 विरूद्व तहसीलदार तहसील मउगंज वृत्त सीतापुर (म0प्र0) जो प्रकरण कमांक 3/अ–5/2015–16 में पारित दिनांक 15–03–17

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 15–03–17 जिसमें कि विवाद का कोई बिन्दु निर्णीत किये बिना संक्षिप्ततः आवेदन पत्र निरस्त किया गया है सर्वथा विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के संदर्भ में न्यायिक निर्णय नहीं किया जब कि निगरानीकर्ता की भूमि नं0 141/1ख रकवा 1.63 ए0 यानी 0.660 हे0 होना अविवादित है तथा शासन के द्वारा गैर निगरानीकर्ता क0 2 को जो वंटन का आदेश प्र0क0 38/अ–19 (1) 2001–02 में आदेश दिनांक 03–08–02 को पारित किया गया था वह खसरा न 0 141/2क रकवा 0.219 हे0 बावत् था यद्यपि खसरे में 0.202 हे0 यानी 0.50 ए0 दर्ज था तथा तदानुसार नक्शा में उसी अनुसार नक्शा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5166–दो/2017 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी तहसीलदार मउगॅज जिला रीवा दारा प्रकरण क्रमांक 3 अ–5/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 15–3–17 से ग्राम कन्हैया की भूमि सर्वे क्रमांक 141/1–ख रकबा 0.660 हैक्टर की गलत तैयार नक्शा तर्मीम के सुधार के आवेदन पर कायम प्रकरण को समाप्त कर देने वावत् लिये गये निर्णय दिनांक 1573–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाभाषक के तर्क सुने जा चुके हैं। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार मउगॅज ने निर्णय दिनांक 1573–17 से आवेदक का नक्शा तर्मीम की मांग पर से संधारित प्रकरण समाप्त किया है। तहसीलदार का यह आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत पारित है एंव संहिता की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत पारित आदेश अपील योग्य है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी सुनवाई–योग्य न होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है । सदस्य	